कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 4339 /22–1 DM दिनांक : आगरा : 13 जून, 2017

सेवा में,

टेरीटरी सेल्स मैनेजर
एस्सार ऑयल लि0
ए–5 सेक्टर–3 नोएडा,
उत्तर प्रदेश।

विषय : आगरा–बाह–कचौराघाट मार्ग कि0मी0 पैनेज 17.100 की दांयी पटरी पर ग्राम कुण्डौल के खसरा संख्या–1612 पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.0750028 हे0 संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/95/2016/एफ0सी0/79 दिनांक 06.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें उक्त प्रकरण में कुछ शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी है। शर्तो का अनुपालन निम्न प्रकार किया जाना आपसे वॉछित है।

अतः निम्न प्रकार धनराशि/अभिलेख तत्काल इस कार्यालय में जमा कराये।

आपत्ति	भारत सरकार की शर्त	शर्तो का शर्तवार अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1.03622 लाख कैम्पा नई दिल्ली में ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर जमा की गई धनराशि के चालान की प्रति इस कार्यालय में जमा करनी होगी।
2 (क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 की निर्धारित राशि रू0 0.46952 लाख कैम्पा, नई दिल्ली में ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय में जमा करनी होगी।
(ख)	इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	–
(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	विधिवत स्वीकृति जारी होने के वाद सीमा स्तम्भों की धनराशि जमा की जायेगी।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (232.32 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि "पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के बीच की भूमि का प्रयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इनका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवाल बनाकर किया जायेगा।
5	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र देना हो कि "राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी दिशा निर्देशों का पालन करेगी।"
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि विधिवत स्वीकृति से पूर्व प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा